



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1457 वर्ष 2026

जगदीश तथा एक अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : जटाशंकर पाण्डेय, सुरेश कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पट्टा विलेख इनके पक्ष में दिया गया था जिसे 07-01-2004 को सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक् अनुमोदित किया गया था तत्पश्चात् पूर्णतया अवैध तरीके से कतिपय पर व्यक्तियों ने प्रत्यर्थी सं० 4 के समक्ष रिकाल आवेदन दाखिल किया था, जिसे इसके द्वारा आदेश दिनांक 23-04-2008 द्वारा अनुज्ञात किया गया था। व्यथित पूर्वोक्त कानूनी पुनरीक्षण जैसा धारा 198(4) के अन्तर्गत उपबंधित है याचीगण द्वारा विलम्ब के माफी हेतु आवेदन के साथ दाखिल किया गया था, जिसे प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा खारिज किया गया था।

2. पूर्वोक्त आदेश से व्यथित पुनः स्थापन हेतु आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे भी प्रत्यर्थी सं० 4 के आदेश दिनांक 16-05-2024 द्वारा खारिज किया गया था। उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूराजस्व अधिनियम की धारा 333 के अन्तर्गत पूर्वोक्त पुनरीक्षण व्यथित याची द्वारा दाखिल किया गया था, जिसे प्रत्यर्थी सं० 4 के आदेश दिनांक 08-12-2025 द्वारा खारिज किया गया था। अतः रिट याचिका प्रस्तुत है।

3. अभिलेख के परिशीलन से ऐसा मालूम होता है कि प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-04-2008 जिसके द्वारा याचीगण के पक्ष में दिये गये विलेख को रद्द किया गया था अकारण आदेश है। उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनः स्थापन आवेदन को मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार किये बिना नामंजूर किया गया था।

4. इस बात के दृष्टिगत, न्यायालय की राय है कि चूँकि प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-04-2008 अकारण आदेश है अतः यह अपास्त किये जाने योग्य हैं तथा एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है। तत्पश्चात् पारित पश्चातवर्ती आदेश को भी अभिखंडित किया जाता है।

5. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ, वर्तमान रिट याचिका को अनुज्ञात किया जाता है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

6. प्रत्यर्थी सं० 4 - उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील- माह, जिला मथुरा को संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात् नया आदेश पारित करने का निदेश जाता है।

जनवरी, 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"